रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 17, 2019/आश्विन 25, 1941
No. 621] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2019/ASVINA 25, 1941

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 17 अक्तूबर, 2019

सं. फेमा. 395/2019-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019

सा.का.नि. 795(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज़ लिखत) नियमावली, 2019 के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में किए जाने वाले निवेश के लिए उपयोग में लाए जाने वाले भुगतान माध्यम तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(ए) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 कहलाएगी।

(बी) यह विनियमावली भारत के सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

ए) "अधिनियम" का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) से है;

बी) "नियमों" का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज़ लिखत) नियमावली, 2019 से है;

सी) इस विनियमावली में प्रयुक्त किंतु अलग से परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमश: वही होंगे जो संबन्धित अधिनियम अथवा नियमों में उन्हें दिये गए हैं।

3. भुगतान माध्यम एवं बिक्रीगत आय का विप्रेषण :

नियमों की अनुसूची	बिक्रीगत आय के विप्रेषण एवं भुगतान माध्यम के संबंध में अनुदेश
I. अनुसूची-I **(भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय कंपनी के इक्विटि लिखतों की खरीद अथवा बिक्री)**	**ए. भुगतान माध्यम** (1) प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए एनआरई/ एफ़सीएनआर(बी)/ एस्क्रो खातों में धारित की गई निधियों से किया जाएगा। **स्पष्टीकरण:** प्रतिफल राशि में निम्नलिखित शामिल होंगे : (i) किसी भारतीय कंपनी द्वारा निवेशक को उसके द्वारा देय किसी राशि (निधि) के बदले जारी किए गए इक्विटी शेयर; (ii) इक्विटी लिखतों का स्वैप । (2) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को इस प्रकार के निवेश पर प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर इक्विटी लिखतें जारी की जाएंगी। स्पष्टीकरण: ऊपर उल्लिखित आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के मामले में, 60 दिनों की अवधि की गणना प्रत्येक मांग-भुगतान (कॉल पेमेंट) की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी। (3) जहां इस तरह की इक्विटी लिखतें प्रतिफल प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर जारी नहीं की जाती हैं, उन मामलों में, उल्लिखित साठ दिन पूरे होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उक्त प्रतिफल राशि संबंधित व्यक्ति को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जावक विप्रेषण के रूप में अथवा उसके एनआरई / एफसीएनआर(बी) खातों में जमा करने के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, वापस की जाए । (4) इस अनुसूची के तहत इक्विटी लिखतें जारी करने वाली किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा बनाए रखे गए विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली 2016 के अनुसरण में भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता खोला जा सकता है । **बी. बिक्रीगत आय का विप्रेषण** इक्विटी लिखतों की बिक्रीगत आय (लागू करों की कटौती के पश्चात) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे संबंधित व्यक्ति के एनआरई / एफसीएनआर (बी) खाते में जमा किया जा सकता है ।
II. अनुसूची-II **(विदेशी संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेशकों द्वारा निवेश)**	**ए. भुगतान माध्यम** (1) प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए विदेशी मुद्रा खाते और / अथवा विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में धारित की गई निधियों से किया जाएगा। बशर्ते कि एसएनआरआर खाते में धारित राशियों का उपयोग घरेलू म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के अलावा निवेश-माध्यमों (इन्वेस्टमेंट वेहिकल) की यूनिटों में निवेश करने हेतु नहीं किया जाएगा । (2) विदेशी मुद्रा खाते और एसएनआरआर खाते का उपयोग केवल और अनन्य रूप से इस अनुसूची के तहत लेनदेन के लिए किया जाएगा। **बी. बिक्री से प्राप्त आय का विप्रेषण** इक्विटी लिखतों और घरेलू म्यूचुअल फ़ंड की बिक्रीगत आय (लागू करों की कटौती के पश्चात) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे संबंधित विदेशी संविभाग निवेशक (एफ़पीआई) के विदेशी मुद्रा खाते अथवा एसएनआरआर खाते में जमा किया जा सकता है।

	घरेलू म्यूचुअल फ़ंड के अलावा किसी निवेश माध्यम (इन्वेस्टमेंट वेहिकल) की यूनिटों की बिक्रीगत आय (लागू करों की कटौती के पश्चात) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है ।
III. अनुसूची-III **(अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अथवा प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश)**	**ए. भुगतान माध्यम** (1) प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए अनिवासी बाह्य (एनआरई) खाते में धारित की गई निधियों से किया जाएगा। (2) बशर्ते कि ऐसे अनिवासी बाह्य (एनआरई) खाते को एनआरई (पीआईएस) खाते के रूप में नामित किया जाएगा एवं उक्त नामित खाते का उपयोग केवल और अनन्य रूप से इस अनुसूची के तहत अनुमत लेनदेन के लिए किया जाएगा। (3) घरेलू म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेशों का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा एनआरई / एफ़सीएनआर (बी) खातों में धारित निधियों से किया जाएगा। (4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अभिदान हेतु भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा एनआरई / एफ़सीएनआर (बी)/ एनआरओ खातों में धारित निधियों से किया जाएगा। **बी. बिक्रीगत आय का विप्रेषण** इक्विटी लिखतों की बिक्रीगत आय (लागू करों की कटौती के पश्चात) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे संबंधित व्यक्ति के एनआरई (पीआईएस) खाते में जमा किया जा सकता है। म्यूचुअल फ़ंडों की यूनिटों तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अभिदान की बिक्रीगत आय (लागू करों की कटौती के पश्चात) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे एनआरआई/ ओसीआई निवेशक के विकल्प पर संबंधित व्यक्ति के एनआरई (पीआईएस) / एफ़सीएनआर (बी)/ एनआरओ खातों में जमा किया जा सकता है।
IV.अनुसूची-IV **(एनआरआई अथवा ओसीआई द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश)**	**1. अनिवासी भारतीय व्यक्ति (एनआरआई) या भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी अथवा यूनिटों अथवा किसी एलएलपी की पूंजी में अंशदान के माध्यम से की गई इक्विटी लिखतों की खरीद अथवा बिक्री ।** **ए. भुगतान माध्यम** प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए अनिवासी बाह्य (एनआरई) / एफ़सीएनआर (बी)/ एनआरओ खातों में धारित की गई निधियों से किया जाएगा। **बी. बिक्री से / परिपक्वता पर प्राप्त आय** (1) किसी एलएलपी की इक्विटी लिखतों अथवा यूनिटों अथवा विनिवेश की बिक्री से / परिपक्वता पर प्राप्त आय (करों की कटौती के पश्चात) को केवल निवेशक के एनआरओ खाते में क्रेडिट किया जाएगा, भले ही प्रतिफल राशि का भुगतान किसी भी प्रकार के खाते से किया गया हो; (2) किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों में निवेश की गई राशि अथवा किसी एलएलपी की पूंजी में किए गए अंशदान का प्रतिफल और उस पूंजी में आगे चल कर हुई मूल्यवृद्धि की राशि का भारत से बाहर प्रत्यावर्तन करने की अनुमति नहीं है। **1. किसी फ़र्म अथवा किसी स्वामित्व प्रतिष्ठान में निवेश** **ए. भुगतान माध्यम** प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए अनिवासी बाह्य (एनआरई) / एफ़सीएनआर (बी)/ एनआरओ खातों में धारित की गई निधियों से किया जाएगा।

	बी. बिक्री से / परिपक्वता पर प्राप्त आय (1) विनिवेश से प्राप्त आय को केवल संबन्धित व्यक्ति के एनआरओ खाते में जमा किया जाएगा, भले ही प्रतिफल राशि का भुगतान किसी भी प्रकार के खाते से किया गया हो। (2) किसी फ़र्म अथवा किसी स्वामित्व प्रतिष्ठान की पूंजी में अंशदान हेतु किए गए निवेश की राशि और उस पूंजी में आगे चल कर हुई मूल्यवृद्धि की राशि का भारत से बाहर प्रत्यावर्तन करने की अनुमति नहीं है ।
V. अनुसूची-V **(अन्य अनिवासी निवेशकों द्वारा निवेश)**	**ए. भुगतान माध्यम** प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में किया जा सकता है। **बी. बिक्री से / परिपक्वता पर प्राप्त आय की जमा / विप्रेषण** (1) बिक्री / परिपक्वता पर प्राप्त आय (लागू करों की कटौती के पश्चात) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है।
VI.अनुसूची-VI **(सीमित देयता भागीदारी में निवेश)**	**ए. भुगतान माध्यम** किसी निवेशक द्वारा किसी एलएलपी की पूंजी में अंशदान हेतु भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए अनिवासी बाह्य (एनआरई) अथवा एफ़सीएनआर (बी) खातों में धारित की गई निधियों से किया जाएगा। **बी. विनिवेश से प्राप्त आय का विप्रेषण** विनिवेश से प्राप्त आय को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे संबन्धित व्यक्ति के अनिवासी बाह्य (एनआरई)/ एफ़सीएनआर(बी) खातों में जमा किया जा सकता है।
VII. **अनुसूची-VII** **(विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक द्वारा निवेश)**	**ए. भुगतान माध्यम** (1) प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए विदेशी मुद्रा खाते और / अथवा विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में धारित की गई निधियों से किया जाएगा। (2) विदेशी मुद्रा खाते और एसएनआरआर खाते का उपयोग केवल और अनन्य रूप से इस अनुसूची के तहत लेनदेन के लिए किया जाएगा। **बी. बिक्री से / परिपक्वता पर प्राप्त आय का विप्रेषण** प्रतिभूतियों की बिक्री/ परिपक्वता पर प्राप्त आय (करों की कटौती के पश्चात) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे संबन्धित विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफ़वीसीआई) के विदेशी मुद्रा खाते अथवा विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में जमा किया जा सकता है।
VIII. **अनुसूची-VIII** **(भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी निवेश माध्यम में निवेश)**	**ए. भुगतान माध्यम** प्रतिफल राशि का भुगतान विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवक विप्रेषण के रूप में अथवा किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के शेयरों को स्वैप कर के अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए अनिवासी बाह्य (एनआरई) / एफ़सीएनआर (बी) खातों में धारित की गई निधियों से किया जाएगा। **बी. बिक्री से / परिपक्वता पर प्राप्त आय का विप्रेषण** यूनिटों की बिक्री / परिपक्वता पर प्राप्त आय (लागू करों की कटौती के पश्चात) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे संबन्धित व्यक्ति के अनिवासी बाह्य (एनआरई) / एफ़सीएनआर(बी) खातों में जमा किया जा सकता है।

IX. **अनुसूची-X** **(भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गम)**	**ए. भुगतान माध्यम** अनिवासी भारतीय व्यक्ति (एनआरआई) अथवा प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में बनाए रखे गए अपने अनिवासी बाह्य (एनआरई)/ एफ़सीएनआर(बी) खातों में धारित निधियों का उपयोग करते हुए भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आईडीआर) में निवेश कर सकते हैं। **बी. बिक्री से / परिपक्वता पर प्राप्त आय का विप्रेषण** भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आईडीआर) का निर्गमकर्ता कंपनी के अंतर्निहित (अंडरलाईंग) इक्विटी शेयरों के रूप में मोचन/ रूपान्तरण करना विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 का अनुपालन माना जाएगा।

3.2 किसी भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा परिवर्तनीय नोटों का निर्गम :

कोई स्टार्ट-अप कंपनी, जो भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को परिवर्तनीय नोट निर्गमित करती है, तो वह प्रतिफल राशि आवक विप्रेषण के रूप में बैंकिंग चैनल के माध्यम से अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में संबन्धित व्यक्ति द्वारा बनाए रखे गए अनिवासी बाह्य (एनआरई) / एफ़सीएनआर (बी) / एस्क्रो खातों से डेबिट के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। पुनर्भुगतान अथवा बिक्री पर प्राप्त आय को भारत से बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा उसे विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में संबन्धित व्यक्ति द्वारा खोले/ रखे गए अनिवासी बाह्य (एनआरई) / एफ़सीएनआर (बी) खातों में जमा किया जा सकता है।

4. रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएँ

भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत में किए गए किसी भी प्रकार के निवेश के संबंध में रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ निम्नानुसार होंगी :

(1) फॉर्म विदेशी मुद्रा – सकल अनंतिम विवरणी (एफसी-जीपीआर): कोई भारतीय कंपनी, जो भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को इक्विटी लिखतें जारी करती है, और जहां इस प्रकार के निर्गम को नियमावली के तहत परिभाषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है, तो इस प्रकार के निर्गम को इक्विटी लिखत जारी किए जाने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों के भीतर फॉर्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट किया जाए। तेल क्षेत्रों में जारी किए जाने वाले "भागीदारी-हितों / राइट्स" संबंधी निर्गमों की रिपोर्टिंग भी फॉर्म एफसी-जीपीआर में की जाए।

(2) विदेशी देयताओं व आस्तियों (एफएलए) पर वार्षिक विवरणी: कोई भारतीय कंपनी, जिसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया है, अथवा कोई सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), जिसने मौजूदा वर्ष सहित पिछले वर्ष में अपनी पूंजी में अंशदान के माध्यम से निवेश प्राप्त किया है, वह प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह की 15 तारीख को अथवा इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक को फॉर्म-एफएलए प्रस्तुत करें।

स्पष्टीकरण : इस प्रयोजन हेतु वर्ष अप्रैल से मार्च तक माना जाएगा।

(3) फॉर्म विदेशी मुद्रा – शेयरों का अंतरण (एफसी-टीआरएस):

(ए) फॉर्म एफसीटीआरएस को नियमावली के अनुसरण में इक्विटी लिखतों के निम्नलिखित व्यक्तियों (संस्थाओं) के बीच किए जाने वाले अंतरण हेतु दायर किया जाएगा :

i. भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, जो किसी भारतीय कंपनी में प्रत्यावर्तनीय आधार पर इक्विटी लिखतें धारित करता हो तथा भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जो गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर इक्विटी लिखतें धारित करता हो; तथा

ii. भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जो किसी भारतीय कंपनी में प्रत्यावर्तनीय आधार पर इक्विटी लिखतें धारित करता हो तथा भारत का निवासी कोई व्यक्ति,

रिपोर्टिंग का दायित्व निवासी अंतरणकर्ता / अंतरिती पर अथवा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति, जो गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर इक्विटी लिखत धारित करता हो, जैसा भी मामला हो, पर होगा।

टिप्पणी : गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर इक्विटी लिखतें धारित करने वाले भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति तथा भारत के निवासी व्यक्ति के बीच नियमावली के अनुसरण में बिक्री के माध्यम से किए गए इक्विटी लिखतों के अंतरण को फॉर्म एफसी-टीआरएस में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

(बी) भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी लिखतों के अंतरण को ऐसे व्यक्ति द्वारा फॉर्म एफसी-टीआरएस में रिपोर्ट किया जाएगा।

(सी) नियमावली के नियम 9(6) में निर्धारित इक्विटी लिखतों के हस्तांतरण को भुगतान की प्रत्येक शृंखला के प्राप्त होने पर फॉर्म एफसी-टीआरएस में रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्टिंग का दायित्व निवासी अंतरंकर्ता/ अंतरिती पर होगा।

(डी) तेल के क्षेत्रों में "भागीदारी-हितों / अधिकारों" के अंतरण की रिपोर्टिंग फॉर्म एफसी-टीआरएस में की जाएगी।

इक्विटी लिखतों के अंतरण अथवा निधियों की प्राप्ति / विप्रेषण, जो भी पहले हो, से साठ दिनों के भीतर फॉर्म एफसीटीआरएस प्रस्तुत करना होगा।

(4) फॉर्म-कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईसॉप): कोई भारतीय कंपनी, जो भारत के बाहर के निवासी उन व्यक्तियों, जो उसके कर्मचारी / निदेशक अथवा कर्मचारी/ उसकी होल्डिंग कंपनी / संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्व वाली समुद्रपारीय सहायक कंपनी / सहायक-कंपनियों के निदेशक हैं, के लिए यदि कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईसॉप) जारी करती है, तो वह इस प्रकार के कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईसॉप) जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर फॉर्म – ईसॉप प्रस्तुत करेगी।

(5) फॉर्म-निक्षेपागार रसीद विवरणी (डीआरआर): घरेलू अभिरक्षक निक्षेपागार प्राप्ति योजना, 2014 के अनुसरण में जारी निक्षेपागार रसीदों के निर्गम/ हस्तांतरण की रिपोर्ट निर्गम की समाप्ति के 30 दिन के भीतर फॉर्म डीआरआर में करेंगे।

(6) फॉर्म एलएलपी (I): कोई सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) यदि अपनी पूंजी में अंशदान तथा लाभ शेयरों के अधिग्रहण हेतु के रूप में प्रतिफल राशि प्राप्त करती है, तो प्रतिफल राशि की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे फॉर्म एलएलपी (I) प्रस्तुत करना होगा।

(7) फॉर्म एलएलपी (II): किसी निवासी और अनिवासी के बीच (अथवा इसके विपरीत) पूंजी अंशदान अथवा लाभ-शेयरों के विनिवेश/ अंतरण का विवरण निधियों की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर फॉर्म-एलएलपी (II) में प्रस्तुत किया जाए। रिपोर्टिंग का दायित्व निवासी हस्तांतरणकर्ता / हस्तांतरिती का होगा।

(8) एलईसी (एफआईआई): प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारत में स्टॉक एक्सचेंज में विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा इक्विटी लिखतों की खरीद / हस्तांतरण से संबन्धित विवरण रिजर्व बैंक को फॉर्म-एलईसी (एफआईआई) में प्रस्तुत करेंगे।

(9) एलईसी (एनआरआई) : प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारत में स्टॉक एक्सचेंज में अनिवासी भारतीयों अथवा प्रवासी भारतीय नागरिकों द्वारा इक्विटी लिखतों की खरीद / अंतरण से संबन्धित विवरण रिजर्व बैंक को फॉर्म-(एनआरआई) में प्रस्तुत करेंगे।

(10) फॉर्म इन-वी: किसी ऐसे निवेश माध्यम (इंवेस्टमेंट वेहिकल), जिसने भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को अपनी यूनिटें जारी की हैं, को उन यूनिटों को जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर फॉर्म इन-वी प्रस्तुत करना होगा।

(11) डाउनस्ट्रीम निवेश

ए. किसी अन्य भारतीय संस्था में डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली भारतीय एंटीटी अथवा निवेश माध्यम, जिस निवेश को नियमों के अनुसार निवेश प्राप्तकर्ता भारतीय संस्था के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है, वह नए / मौजूदा

उद्यमों में निवेश के तौर-तरीकों के साथ (विस्तार कार्यक्रम के साथ/ उसके बिना) इस प्रकार के निवेश के 30 दिनों के भीतर औद्योगिक सहायता सचिवालय, डीपीआईआईटी को अधिसूचित करेगी, चाहे इक्विटी लिखत आबंटित न की गई हों।

बी. फॉर्म डीआई: किसी अन्य भारतीय एंटीटी में डाउनस्ट्रीम निवेश करने वाली भारतीय संस्था या निवेश माध्यम, जिस निवेश को नियमावली के नियम-22 के अनुसार निवेश प्राप्तकर्ता भारतीय एंटीटी के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है, वह इक्विटी लिखतों के आबंटन की तारीख से 30 दिनों के अंदर रिज़र्व बैंक को फॉर्म डीआई प्रस्तुत करेगी ।

(12) फॉर्म परिवर्तनीय नोट (सी एन):

ए. भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी, जो भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को परिवर्तनीय नोट जारी करती है, उसे इस प्रकार के निर्गम के 30 दिन के अंदर फॉर्म सी एन प्रस्तुत करना होगा।

बी. भारत का निवासी कोई व्यक्ति जो भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा जारी किए गए परिवर्तनीय नोटों का, चाहे हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरिती हो, वह इस प्रकार के हस्तांतरण के 30 दिनों के भीतर भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को या उस व्यक्ति से, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार के हस्तांतरण के संबंध में विवरण फार्म सीएन में रिपोर्ट करेगा।

बशर्ते कि इस संबंध में ऐसी रिपोर्टिंग के प्रपत्र, अवधि और प्रस्तुति के तरीके का निर्धारण रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया हो ।

बशर्ते कि जब तक इन विनियमों में विशेष रूप से कुछ अलग नहीं बताया गया हो, सभी प्रकार की रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से या उसके द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, की जाएगी।

5. रिपोर्टिंग में विलंब

उपर्युक्त विनियम-4 में प्रावधान की गई रिपोर्टों की फाइलिंग के लिए जिम्मेदार व्यक्ति / एंटीटी रिपोर्टिंग में किसी प्रकार का विलंब होने पर केंद्र सरकार के परामर्श से रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जाने वाले विलंब प्रस्तुति शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी।

[फा. सं. 1/14/ई एम/2015]

अजय कुमार मिश्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th October, 2019

No. FEMA. 395/2019-RB

Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) Regulations, 2019

G.S.R . 795(E).— In exercise of the powers conferred by section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and consequent to the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instrument) Rules, 2019, the Reserve Bank makes the following regulations relating to mode of payment and reporting requirements for investment in India by a person resident outside India, namely:

1. Short title & commencement:-

a) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) Regulations, 2019.

b) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

In these regulations, unless the context requires otherwise, -

a) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

b) 'Rules' means Foreign Exchange Management (Non-Debt Instrument) Rules, 2019;

c) The words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or the Rules.

3. Mode of Payment and Remittance of sale proceeds:

3.1

Schedule of the Rules	Instructions on Mode of payment and Remittance of sale proceeds
I. Schedule I **(Purchase or sale of equity instruments of an Indian company by a** **person resident outside India)**	**A. Mode of payment** (1) The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in NRE/FCNR(B)/Escrow account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. **Explanation :** The amount of consideration shall include: (i) Issue of equity shares by an Indian company against any funds payable by it to the investor (ii) Swap of equity instruments. (2) Equity instruments shall be issued to the person resident outside India making such investment within sixty days from the date of receipt of the consideration. **Explanation:** In case of partly paid equity shares, the period of 60 days shall be reckoned from the date of receipt of each call payment (3) Where such equity instruments are not issued within sixty days from the date of receipt of the consideration the same shall be refunded to the person concerned by outward remittance through banking channels or by credit to his NRE/ FCNR (B) accounts, as the case may be within fifteen days from the date of completion of sixty days. (4) An Indian company issuing equity instruments under this Schedule may open a foreign currency account with an Authorised Dealer in India in accordance with Foreign Exchange Management (Foreign currency accounts by a person resident in India) Regulations, 2016. **B. Remittance of sale proceeds** The sale proceeds (net of taxes) of the equity instruments may be remitted outside India or may be credited to the NRE/ FCNR (B) of the person concerned.
II. Schedule II **(Investments by Foreign Portfolio Investors)**	**A. Mode of payment** (1) The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in a foreign currency account and/ or a Special Non-Resident Rupee (SNRR) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. Provided balances in SNRR account shall not be used for making investment in units of Investment Vehicles other than the units of domestic mutual fund. (2) The foreign currency account and SNRR account shall be used only and exclusively for transactions under this Schedule. **B. Remittance of sale proceeds** The sale proceeds (net of taxes) of equity instruments and units of domestic mutual fund may be remitted outside India or credited to the foreign currency account or a SNRR account of the FPI. The sale proceeds (net of taxes) of units of investment vehicles other than domestic mutual fund may be remitted outside India.

III. Schedule III **(Investments by Non-Resident Indian (NRI) or Overseas Citizen of India (OCI) on repatriation basis)**	**A. Mode of payment** (1) The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in a Non-Resident External (NRE) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. (2) The NRE account will be designated as an NRE (PIS) Account and the designated account shall be used exclusively for putting through transactions permitted under this Schedule. (3) Investment in units of domestic mutual fund shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in NRE/FCNR(B) account. (4) Subscription to National Pension System shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in NRE/FCNR(B)/NRO account. **B. Remittance of sale proceeds** The sale proceeds (net of taxes) of equity instruments may be remitted outside India or may be credited to NRE (PIS) account of the person concerned. The sale proceeds (net of taxes) of units of mutual funds and subscription to National Pension System may be remitted outside India or may be credited to NRE (PIS)/FCNR(B)/NRO account of the person concerned at the option of the NRI/OCI investor.
IV. Schedule IV **(Investment by NRI or OCI on non-repatriation basis)**	**1. Purchase or sale of equity instruments of an Indian company or units or contribution to the capital of a LLP by Non-Resident Indian (NRI) or Overseas Citizen of India (OCI) on Non-repatriation basis.** **A. Mode of Payment** The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in NRE/FCNR(B)/NRO account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. **B. Sale/maturity proceeds** (1) The sale/maturity proceeds (net of applicable taxes) of equity instruments or units or disinvestment proceeds of a LLP shall be credited only to the NRO account of the investor, irrespective of the type of account from which the consideration was paid; (2) The amount invested in equity instruments of an Indian company or the consideration for contribution to the capital of a LLP and the capital appreciation thereon shall not be allowed to be repatriated abroad. 2. **Investment in a firm or a proprietary concern.** **A. Mode of payment** The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in NRE/FCNR(B)/NRO account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. **B. Sale/maturity proceeds** (1) The disinvestment proceeds shall be credited only to the NRO account of the person concerned, irrespective of the type of account from which the consideration was paid; (2) The amount invested for contribution to the capital of a firm or a proprietary concern and the capital appreciation thereon shall not be allowed to be repatriated abroad.
V. Schedule V **(Investment by other non-resident investors)**	**A. Mode of Payment** The amount of consideration shall be paid out of inward remittances from abroad through banking channels. **B. Remittance/credit of sale/ maturity proceeds** The sale/ maturity proceeds (net of taxes) may be remitted abroad.

VI. Schedule VI **(Investment in a Limited Liability Partnership)**	**A. Mode of payment** Payment by an investor towards capital contribution of an LLP shall be made by way of an inward remittance through banking channels or out of funds held in NRE or FCNR(B) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. **B. Remittance of disinvestment proceeds** The disinvestment proceeds may be remitted outside India or may be credited to NRE or FCNR(B) account of the person concerned.
VII. Schedule VII **(Investment by a Foreign Venture Capital Investor)**	**A. Mode of payment** (1) The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in a foreign currency account and/or a Special Non-Resident Rupee (SNRR) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. (2) The foreign currency account and SNRR account shall be used only and exclusively for transactions under this Schedule. **B. Remittance of sale/maturity proceeds** The sale/maturity proceeds (net of taxes) of the securities may be remitted outside India or may be credited to the foreign currency account or a Special Non-resident Rupee Account of the FVCI.
VIII. Schedule VIII **(Investment by a person resident outside India in an Investment Vehicle)**	**A. Mode of payment** The amount of consideration shall be paid as inward remittance from abroad through banking channels or by way of swap of shares of a Special Purpose Vehicle or out of funds held in NRE or FCNR(B) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. **B. Remittance of sale/maturity proceeds** The sale/maturity proceeds (net of taxes) of the units may be remitted outside India or may be credited to the NRE or FCNR(B) account of the person concerned.
IX. Schedule X **(Issue of Indian Depository Receipts)**	**A. Mode of Payment** NRIs or OCIs may invest in the IDRs out of funds held in their NRE/FCNR(B) account, maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. **B. Remittance of sale/maturity proceeds** Redemption/conversion of IDRs into underlying equity shares of the issuing company shall be a compliance the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004.

3.2 Issue of Convertible Notes by an Indian start-up company:

A start-up company issuing convertible notes to a person resident outside India shall receive the amount of consideration by inward remittance through banking channels or by debit to the NRE/FCNR(B)/Escrow account maintained by the person concerned in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016. Repayment or sale proceeds may be remitted outside India or credited to NRE/FCNR(B) account maintained by the person concerned in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.

4. Reporting Requirements:

The reporting requirement for any Investment in India by a person resident outside India shall be as follows:

(1) **Form Foreign Currency-Gross Provisional Return (FC-GPR):** An Indian company issuing equity instruments to a person resident outside India and where such issue is reckoned as Foreign Direct Investment, defined under the rules, shall report such issue in Form FC-GPR, not later than thirty days from the date of issue of equity instruments. Issue of 'participating interest/rights' in oil fields shall be reported in Form FC-GPR.

(2) **Annual Return on Foreign Liabilities and Assets (FLA):** An Indian Company which has received FDI or an LLP which has received investment by way of capital contribution in the previous year including the current year, shall submit form FLA to the Reserve Bank on or before the 15th day of July of each year.

Explanation: Year for this purpose shall be reckoned as April to March.

(3) **Form Foreign Currency-Transfer of Shares (FC-TRS):**

(a) Form FCTRS shall be filed for transfer of equity instruments in accordance with the rules, between:

i. a person resident outside India holding equity instruments in an Indian company on a repatriable basis and person resident outside India holding equity instruments on a non-repatriable basis; and

ii. a person resident outside India holding equity instruments in an Indian company on a repatriable basis and a person resident in India,

The onus of reporting shall be on the resident transferor/transferee or the person resident outside India holding equity instruments on a non-repatriable basis, as the case may be.

Note: Transfer of equity instruments in accordance with the rules by way of sale between a person resident outside India holding equity instruments on a non-repatriable basis and person resident in India is not required to be reported in Form FC-TRS.

(b) Transfer of equity instruments on a recognised stock exchange by a person resident outside India shall be reported by such person in Form FC-TRS.

(c) Transfer of equity instruments prescribed in Rule 9(6) of the Rules, shall be reported in Form FC-TRS on receipt of every tranche of payment. The onus of reporting shall be on the resident transferor/transferee.

(d) Transfer of 'participating interest/rights' in oil fields shall be reported Form FC-TRS.

The form FCTRS shall be filed within sixty days of transfer of equity instruments or receipt/remittance of funds whichever is earlier.

(4) **Form Employees' Stock Option (ESOP):** An Indian company issuing employees' stock option to persons resident outside India who are its employees/directors or employees/directors of its holding company/joint venture / wholly owned overseas subsidiary/subsidiaries shall file Form-ESOP, within 30 days from the date of issue of employees' stock option.

(5) **Form Depository Receipt Return (DRR):** The Domestic Custodian shall report in Form DRR, the issue / transfer of depository receipts issued in accordance with the Depository Receipt Scheme, 2014 within 30 days of close of the issue.

(6) **Form LLP (I):** A Limited Liability Partnerships (LLP) receiving amount of consideration for capital contribution and acquisition of profit shares shall file Form LLP (I), within 30 days from the date of receipt of the amount of consideration.

(7) **Form LLP (II):** The disinvestment/transfer of capital contribution or profit share between a resident and a non-resident (or vice versa) shall be filed in Form LLP(II) within 60 days from the date of receipt of funds. The onus of reporting shall be on the resident transferor/transferee.

(8) **LEC(FII):** The Authorised Dealer Category I banks shall report to the Reserve Bank in Form LEC (FII) the purchase/transfer of equity instruments by FPIs on the stock exchanges in India.

(9) **LEC(NRI):** The Authorised Dealer Category I banks shall report to the Reserve Bank in Form LEC (NRI) the purchase/transfer of equity instruments by Non-Resident Indians or Overseas Citizens of India on stock exchanges in India.

(10) **Form InVI:** An Investment vehicle which has issued its units to a person resident outside India shall file Form InVI within 30 days from the date of issue of units.

(11) **Downstream Investment**

a. An Indian entity or an investment vehicle making downstream investment in another Indian entity which is considered as indirect foreign investment for the investee Indian entity in terms of the Rules, shall notify the Secretariat for Industrial Assistance, DPIIT within 30 days of such investment, even if equity instruments have not been allotted, along with the modality of investment in new/existing ventures (with/without expansion programme).

b. Form DI: An Indian entity or an investment Vehicle making downstream investment in another Indian entity which is considered as indirect foreign investment for the investee Indian entity in terms of Rule 22 of the Rules shall file Form DI with the Reserve Bank within 30 days from the date of allotment of equity instruments.

(12) **Form Convertible Notes (CN)**:

a. The Indian start-up company issuing Convertible Notes to a person resident outside India shall file Form CN within 30 days of such issue.

b. A person resident in India, who may be a transferor or transferee of Convertible Notes issued by an Indian start-up company shall report such transfers to or from a person resident outside India, as the case may be, in Form CN within 30 days of such transfer.

Provided, the format, periodicity and manner of submission of such reporting shall be as prescribed by Reserve Bank in this regard.

Provided further that unless otherwise specifically stated in these regulations all reporting shall be made through or by an Authorised Dealer bank, as the case may be.

5. **Delays in reporting**

The person/entity responsible for filing the reports provided in Regulation 4 above shall be liable for payment of late submission fee, as may be decided by the Reserve Bank, in consultation with the Central Government, for any delays in reporting.

[F. No. 1/14/EM/2015]

AJAY KUMAR MISRA, Chief General Manager-in-charge

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.10.18 22:14:17 +05'30'